दिनांक: 05-02-2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान व 3000/- रुपये नकद बरामद

घटनाओं का विवरण:-

1. दिनांक 06.01.2026 को वादी श्री निकुज मित्तल पुत्र श्री सुभाषचन्द मित्तल मौ0 महादेव कस्बा नकुड़ थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान की छत फाडकर गल्ले से 15,000/- रुपये नगद व 35,000/- रुपये का अन्य सामान चोरी करना व पडोसी सददाम उपरोक्त की दुकान की छत फाड देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 47/26 धारा 331(2)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।
2. दिनांक 20.01.2026 को वादी श्री सोराज सिंह पुत्र रतन सिह ग्राम हसनपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के खेत से साढे सात H.P की बिजली मोटर व केविल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 38/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/नकबजनी आदि घटानाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.02.2026 को पुलिस टीम द्वारा गस्त चैकिंग के दौरान अभियुक्त **मुरसलीन उर्फ छोटा पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम कुण्डा कलाँ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को नयागांव रोड बंद पडे पैट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गयी 3 बोतल सरसो का तेल, 3 पैकेट बिस्कुट, 2 पैकेट नमकीन, 170 रुपये सिक्के व 3000 रुपये नकद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

मुरसलीन उर्फ छोटा पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम कुण्डा कलाँ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:

03 बोतल सरसों का तेल, 3 पैकेट बिस्कुट, 2 पैकेट नमकीन, 170 रुपये सिक्के व 3,000/- रुपये नकद।

अभियुक्त मुरसलीन उर्फ छोटा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 324/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 320 तरुण गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 1059 अनुज राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. एच0जी0 1799 प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक:05.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग में वान्छित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादिया के साथ शादी का झाँसा देकर घर में घुसकर दुष्कर्म करना व वादिया को गोली खिलाकर वादिया का गर्भपात करा देना व शिकायत करने पर अभियुक्त के परिजनों द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 32/26 धारा 69,88,333,352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतू आदेश-निर्देश दिये गये, आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***सुहेल पुत्र इसरार निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *को बाईपास तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सुहेल पुत्र इसरार निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः

1- थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

3- का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 05.02.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर अन्तर्राज्यीय नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 03 लाख रूपये) बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.02.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर अन्तर्राज्यीय नशा तस्कर अभियुक्त **खालिद पुत्र इस्त्याख निवासी वार्ड नम्बर -17 शिव नगर कालौनी नियर बाबा बालकनाथ मन्दिर कैम्प यमुनानगर हरियाणा** को फिरोजाबाद मार्ग से अब्दुल्लापुर अहाडी को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 33/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

खालिद पुत्र इस्त्याख निवासी वार्ड नम्बर -17 शिव नगर कालौनी नियर बाबा बालकनाथ मन्दिर कैम्प यमुनानगर हरियाणा।

बरामदगी का विवरणः-

- *15 ग्राम अवैध स्मैक*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 95/19 धारा 342/392 भादवि थाना बूडिया जिला यमुनानगर।*
2. *मु0अ0स0-,162/19 धारा 307 ,341भादवि थाना नानोता जनपद सहारनपुर।*

3. *मु0अ0स0- 731/19 धारा 379ए भादवि थाना जगाधरी सिटी हरियाणा।*
4. *मु0अ0स0- 88/22 धारा 21एन/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बूडिया जिला यमुनानगर।*
5. *मु0अ0सं0 751/23 धारा 21 बी, 61,85 एनडीपीएस एक्ट थाना सिटी यमुनानगर।*
6. *मु0अ0सं0 27/25 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना सदर यमुनानगर।*
7. *मु0अ0सं0 61/25 धारा 457/380/307/411 भादवि थाना नानौता सहारनपुर।*
8. *मु0अ0सं0 33/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-</u>

1. *थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
3. *म0उ0नि0 माधुरी शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 2299 कृष्णवीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
5. *का0 2175 गोपाल सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः **05.02.2026**

-प्रेस नोट-

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्ल्यू वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान *के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 05.02.2026 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा गैर जमानती वारन्टी अभियुक्त* ***संजीव कुमार पुत्र नाथीराम निवासी बागाखेडी थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*** *(सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय सम्बन्धी दाण्डिक अपील सं0-2295/2016 धारा 302/34 भादवि मा0 न्यायालय सीजेएम सहारनपुर) को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संजीव कुमार पुत्र नाथीराम निवासी बागाखेडी थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।*
2. *का0 1617 योगेश थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।*

दिनांक: 05.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना नानौता पुलिस द्वारा अपर्हता को सकुशल बरामद करते हुए 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 29.01.2026 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त श्रीओम पुत्र संजय निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध मे थाना नानौता पर मु0अ0सं0 23/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं अपहृता की सकुशल बरमादगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.02.2026 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपर्हता को सकुशल बरामद करते हुए नामित अभियुक्त ***श्रीओम पुत्र संजय नासी ग्राम हुसैनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर*** *को दिल्ली सहारनपुर रोड से जडौदा पाण्डा की तरफ जाने वाली नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया । विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

श्रीओम पुत्र संजय नासी ग्राम हुसैनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।*
2. *है0का0 205 विपिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।*
3. *का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक:05.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.02.2026 को वादी फैजान पुत्र फुरकान अहमद निवासी हिम्मत नगर थाना सदर बाजार, सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी एवं उसके पुत्र रिहान पर धारदार हथियार से हमला करना जिससे वादी व वादी के पुत्र को चोट आने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 70/26 धारा 333/118(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.02.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में ***01 वांछित अभियुक्त शानू उर्फ सोनू पुत्र रफीक हाल निवासी रेलवे स्टेशन सहारनपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर*** *को जिला अस्पताल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पताः–

शानू उर्फ सोनू पुत्र रफीक हाल निवासी रेलवे स्टेशन सहारनपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. *उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।*
2. *का0 2107 रवि राठी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांक:05.02.2026

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 16,000/-रू0 नगद व 01 जोडी पाजेब बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 31.01.2026 को वादिया श्रीमती शबनम पत्नी अब्दुल वाजिद निवासी ग्राम बेगी रुस्तम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 23.11.2025 को अभियुक्त रहमान पुत्र नामालूम नि0 नामालूम द्वारा सहारनपुर से गंगोह आते समय टाटा मैजिक की छत पर रखे वादिया के बैग से सोने चाँदी के जेवरात व 4,500/-रु0 चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 68/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चोरी की घटनाओ के अनावरण व अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.02.2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्तगण ***1.इस्लाम उर्फ टरकोनी पुत्र रफीक 2. अकरम उर्फ लोटा पुत्र रफीक निवासीगण ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 3.अरशद पुत्र मंसूर निवासी ग्राम जगेहता नजीब थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*** *को विद्यार्थी तिराहे से बाईपास रोड पर से चोरी के सामान व रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। इस्लाम के कब्जे से से 01 जोडी पाजेब (सफेद धातु) तथा अकरम व अरशद के कब्जे से 08-08 हजार रुपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि करीब ढाई महीने पहले हम तीनों सहारनपुर में घण्टाघर स्थित टैम्पू स्टैण्ड पर खडे थे। दो महिला टम्पू स्टैण्ड से एक मैजिक में बैठी थी मैजिक के ड्राइवर ने उनका बैग मैजिक की छत पर रख दिया था तो हम तीनों भी चोरी करने की नियत से उसी मैजिक मे सवार हो गये थे। सहारनपुर थोडा आने चलने के बाद इस्लाम और अरशद मैजिक की छत पर जाकर बैठ गये थे तथा अकरम मैजिक के अन्दर से निगरानी करने लगा फिर इस्लाम और अरशद ने मैजिक की छत पर रखे बैग में से तीन सोने की अंगूठी तथा एक जोडी पाजेब चोरी करके थोडी दूर आगे जाकर मैजिक से उतरकर घर चले गये थे। सोने की अंगूठी हम तीनो ने एक राह चलते व्यक्ति को 30,000/- रू0 में बेच दी थी। पैसे हमने आपस में बांट लिये थे तथा पाजेब इस्लाम ने अपने पास रख ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *इस्लाम उर्फ टरकोनी पुत्र रफीक नि0 ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
2. *अकरम उर्फ लोटा पुत्र रफीक नि0 ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
3. *अरशद पुत्र मंसूर निवासी ग्राम जगेहता नजीब थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरण

- *01 जोडी पाजेब सफेद धातु (इस्लाम उर्फ टरकोनी से बरामद)*
- *8000/- रू0 नगद (अकरम उर्फ लोटा से बरामद)*
- *8000/- रू0 नगद (अरशद से बरामद)*

अभियुक्त इस्लाम उर्फ टरकोनी का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 181/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 56/24 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 62/24 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 गैंगस्टर अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।*

<u>अभियुक्त अकरम उर्फ लोटा का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. *मु0अ0सं0 139/22 धारा 3 / 4 उ0प्र0 सार्वजनिक द्यूत अधि0 थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 90/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर।*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>-

1. *उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
2. *हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 60 शैलेन्द्र थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
4. *हे0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
5. *हे0का0 12 अंकुश गौदरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
6. *का0 1131 सूरज शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*